† **محترمہ کہکشاں پروین (بہار) :** مہودے، مںی خود کو اس وشے سے سمبدّھ کرتی ہوں۔

श्री लाल सिंह वड़ोदिया (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री समीर उरांव (झारखंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too would like to associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I too would like to associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to address the difficulties being faced by Persons with Disability to avail facilities

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं इस शून्य काल के माध्यम से दिव्यांगों की समस्याओं के प्रति सदन का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। वैसे अमेरिका के सामाजिक विज्ञान के छात्रों का एक शोध है कि empathy की जो क्षमता होती है, empathy यानी सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति होती है, वह दुनिया में कम होती जा रही है और ऐसी स्थिति में दिव्यांगों की समस्याओं की जो complexities हैं, वे बढ़ रही हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने दिव्यांग शब्द और एक नई संकल्पना भी लाई, दिव्यांगों के लिए अंगदान के जो कार्यक्रम चलते थे, उनमें बहुत सारा इजाफा भी विगत कुछ वर्षों में हुआ, बावजूद इसके समाज में संवेदनशीलता का जो प्रमाण है, वह विभिन्न कारणों से कम होते जाने के कारण समस्याओं की complexities बढ़ रही हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि नगर निगमों के अंदर दिव्यांगों के लिए एक आरक्षित निधि होती है। There is a particular fund reserved for the differently-abled persons. मगर इसका विनियोग कई बार, जैसे बाँटा जाता है, वितरण किया जाता है, एक-एक व्यक्ति को अनुदान दिया जाता है, उसी में होता है। जो infrastructural सारी

†Transliteration in Urdu script.

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

रचनाएँ करनी चाहिए, उनके लिए नहीं होता है। इसके लिए सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कुछ गाइडलाइंस होने की आवश्यकता है।

महोदय, इसी तरह से हमारे देश में जो वृद्धाश्रम हैं, उनमें दिव्यांग वृद्धों को अक्सर प्रवेश नहीं मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिव्यांगों के लिए वृद्धाश्रमों में भी प्रवेश मिले, क्योंकि उनकी समस्याएँ और अधिक पेचीदा होती है। इसके लिए भी कुछ प्रावधान करने की जरूरत है। हमारी सरकार के द्वारा Handicapped Finance Corporation बनाया गया है, मगर इसमें जो ऋण वितरण होना चाहिए, उसकी जो सुलभता होनी चाहिए, वह भी अक्सर नहीं होती दिखाई देती है। बैंक इसमें काफी समय भी लगाते हैं।

महोदय, सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था कि विभिन्न सरकारी संस्थानों में रैम्प बनाया जाए ताकि उनको दिव्यांग स्नेही बनाया जाए, disability friendly बनाया जाए, मगर उसकी जो डिज़ाइन है, उसमें इस तरीके की गलतियाँ हैं, जिनके कारण नए दिव्यांग बनेंगे। ऐसे गलत तरह के रैम्प बनाने के कारण नए दिव्यांग बनेंगे, इसलिए मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर भी बहुत निगरानी की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अंतिम केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जो paraplegic व्यक्ति है या cerebral palsy के हैं या slow learners हैं या autism के शिकार हे यह एक और नई दिव्यांगता सामने आ रही है, तो इसका भी कहीं न कहीं जिक्र होना चाहिए। इसका आकलन होना चाहिए। मेरे दो सुझाव हैं, यह जो Rights of Persons with Disabilities Act 2016 में लाया गया था, उसके क्रियान्वयन की समीक्षा होनी चाहिए। सरकारों के अंदर दिव्यांगों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उनको भरने की प्रक्रिया में भी कुछ और अधिक गति लानी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समेत हमारे पुलिस कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में संवेदनशीलता प्रशिक्षण, sensitivity training, जैसे एक महत्वपूर्ण अंग को समावेश करना बहुत आवश्यक है।

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI KAILASH SONI (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

† **محترمہ کہکشاں پروین (بہار)** : مہودے، مَیں بھی خود کو اس وشئے سے سمبدّھ کرتی ہوں۔

MR. CHAIRMAN: Please send your name by slips. मेरा एक सुझाव है कि यह वृद्धाश्रम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Elders' home, not old age home. ऐसी कोई अच्छी शब्दावली हिन्दी में भी हो सकती है, वरिष्ठ नागरिक आश्रम, ऐसा हो सकता है, because हम भी वरिष्ठ नागरिक हैं, हम भी कल वृद्ध हो सकते हैं।

SHRI DEREK O'BRIEN: Elder's home.

श्री सभापति: वह तो English में है। Elder's home. हिन्दी के लिए इन्होंने कहा। यह just observation है। अभी तक जो चल रहा है, वह तो है ही।

Shortage of infrastructure for police training

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): महोदय, आज मैं प्रदेशों में पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग व उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को लेकर अपनी बात रखना चाहता हूँ। देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पुलिस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वे पूरी क्षमता के साथ, पूरी मेहनत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आज देश में पुलिस टू पर्सन रेश्यो बहुत असंतोषजनक

†Transliteration in Urdu script.